

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II – खण्ड I

PART II – Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2006/ज्येष्ठ 12, 1928
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2006/JYAISTHA 12, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून 2006/ ज्येष्ठ 12, 1928 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 1 जून, 2006 को राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हुई तथा इसे एतद्वारा जनधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है: –

उपकर विधि (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2006
2006 का अधिनियम संख्यांक 24

[1 जून, 2006]

कतिपय मदों पर उपकर के उद्ग्रहण से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपकर विधि (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2006 है।
2. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक इसके द्वारा निरसन किया जाता है।
3. दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति का उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित सीमा तक और रीति से संशोधन किया जाता है।
4. (1) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन या संशोधन का –
(क) किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसको निरसित कर अधिनियमिति लागू की गई है, जिसमें वह सम्मिलित की गई है, या जिसके प्रति वह निर्दिष्ट की गई है;
(ख) पहले की गई या सहन की गई किसी बात अथवा पहले ही अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, दावे या मांग से निर्माचना या उन्मोचन, अथवा

संक्षिप्त नाम।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

1975 के अधिनियम 26 का संशोधन।

व्यावृत्ति

पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमित द्वारा, असमें या उससे किसी भी रीति से प्रतिज्ञात या मान्यताप्राप्त या व्युत्पन्न हुआ है;

(घ) उससे कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट प्रथा पद्धति, प्रक्रिया या कोई अन्य विषय या बात, जो अब विद्यमान या प्रवर्त नहीं है, पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) में विशिष्ट विषयों का वर्णन निरसन के रूप के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसके साधारण रूप से लागू होने को प्रभावित करने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा।

1897 का 10

शुल्कों के
बकाया का
संग्रहण और
संदाय

5. पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन या दूसरी अनुसूची में तथा विनिर्दिष्ट अधिनियमिति में संशोधनों के होते हुए भी, उस तारीख से ठीक पूर्व जिसको उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2006 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, उक्त अधिनियमितियों के अधीन उद्गृहीत, यथास्थिति, शुल्कों के आगमों का,—

(i.) यदि संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संग्रहण किया गया है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक में संदाय नहीं किया गया है; और

(ii.) यदि संग्रहण करने वाले अभिकरणों द्वारा संग्रहण नहीं किया गया है,

भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में यथास्थिति, संदाय किया जाएगा या संग्रहण और संदाय किया जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	निरसन की सीमा
1	2	3	4
1942	7	काँफी अधिनियम, 1942	धारा 11 और धारा 13
1972	13	सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिरण अधिनियम, 1972	धारा 14 और धारा 15
1986	3	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985	संपूर्ण
1986	11	मसाला उपकर अधिनियम, 1986	संपूर्ण

दूसरी अनुसूची
(धारा 3 देखें)
संशोधन

वर्ष	संख्यांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4
1975	26	तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975	(i) धारा 4 का लोप किया जाएगा। (ii) धारा 5 में "क्रमशः धारा 3 और धारा 4 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क" शब्द रखे जाएंगे।

के. एन. चतुर्वेदी
सचिव, भारत सरकार